RAEBARELIPOLICE

दिनाँक 07 जुलाई 2021 **थाना खीरों**

लूट की झूठी सूचना का अनावरण,01 लाख 95 हजार रुपये बरामद-

दिनांक 05 जुलाई 2021 को श्री विनोद कुमार रामजी पुत्र स्व.मोतीलाल गुप्ता निवासी सर्राफा मंडी कस्बा व थाना लालगंज रायबरली ने थाना खीरों पर सूचना देते हुए बताया कि मेरी किराना की दुकान अम्बेडकर नगर मार्ग कस्वा व थाना लालगंज में स्थित है। दिनांक 05 जुलाई 2021 को मेरा मुनीम शिवाकान्त तिवारी ने सतांव,गुरुबक्शगंज,सहजौरा से उधारी की वसूली करके आ रहा था। उसने मुझे फोन करके बताया कि मेरे साथ थाना खीरों क्षेत्र अन्तर्गत स्थित गौनहा मोड़ के पास लूट की घटना हो गयी है जिसमें वसूली का 01 लाख 95 हजार रुपये चला गया। वादी उपरोक्त द्वारा यह भी बताया गया कि मुझे पूर्ण रुप से शंका है कि मेरे मुनीम ने ही रुपया हड़पने की नीयत से लूट की झूठी सूचना दी है। इस सूचना के आधार पर थाना खीरों पर मुअसं-251/2021 धारा-407 भादवि. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पूछताछ का विवरण/घटना का प्रकार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक रायबरेली श्री श्लोक कुमार द्वारा मुकदमा उपरोक्त का शीघ्र खुलासा करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी व रुपयों की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री हरिशंकर प्रजापति थाना खीरों मय पुलिस टीम द्वारा घटना से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा मुनीम शिकाकान्त तिवारी पुत्र गणेश शंकर तिवारी निवासी ग्राम निहस्था थाना खीरों रायबरेली से गहनता से पूछताछ व अन्य आवश्यक जानकारी की गयी तो उसने बताया कि कि मुझे मेरा सेठ 5,000 रुपये महीना देता था और मैं मुनीम का काम करता हूं और उधारी की वसूली का काम करता हूं। कम सेलरी होने के कारण मेरा परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था इसी कारण मेरे मन में लालच आ गया और हमने रुपयों के झोले को जंगल के अन्दर झाड़ी में जाकर छिपा दिया था और अपने सेठ को हमने लूट की झूठी सूचना दे दी थी। अभियुक्त उपरोक्त की निशानदेही पर गौनहा मोड़ के पास स्थित जंगल में झाड़ियों से 01 लाख 95 हजार रुपयों से भरा हुआ झोला बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

शिकाकान्त तिवारी पुत्र गणेश शंकर तिवारी निवासी ग्राम निहस्था थाना खीरों रायबरेली।

बरामदगी-

01 लाख 95 हजार रुपये घटना से सम्बन्धित(अभियुक्त की निशानदही पर)